न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
08 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	13.01.2020	18.12.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री बिरदीचन्द साहू पुत्र स्व. श्री घीसालाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू किराणा भण्डार बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं.11 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0

2— मैसर्स साहू किराणा भण्डार बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) (iv)(v)एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थीगण उपस्थित

दिनांक 18.12.2020

:—**निर्णय**—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2019 को समय 1.26 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स साहू किराणा भण्डार बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ की हैसियत से श्री बिरदीचन्द साहू पुत्र स्व. श्री घीसालाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू किराणा भण्डार बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं.11 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री बिरदीचन्द साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता बिरदीचन्द साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1152

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे 5–6 किलोग्राम **धनिया पावडर खुला** (Coriander **Powder Loose)** रखे हुये मे से 2 किलोग्राम को एक पॉलीथीन मे बॉट मापक से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री बिरदीचन्द साहू को रू0 200/–अक्षरे दो सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **धनिया पावडर खुला** (Coriander Powder Loose) 2 किलोग्राम को अलग–अलग साफ व सूखी पोलीथीन मे 500–500 ग्राम बाट मापक से तुलवाकर पोलीथीन मे भरकर पोलीथीन को नियमानुसार एयर टाईट बंद किया व चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे अलग–अलग भरकर प्रत्येक पॉलीथीन को कागज के डिब्बे मे रखकर डिब्बे के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2354 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2354 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. बिरदीचन्द साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2452 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2511/एक्ट/2019/2042 दिनांक 11.11.2019 अनुसार बिरधीचन्द से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **धनिया पावडर खुला** (Coriander Powder Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक **(Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन** **(Contravene)** स्तर का **धनिया पावडर** खुला (Coriander Powder Loose) का

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) (iv) (v)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **धनिया पावडर खुला** (Coriander Powder Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर खुला** (Coriander Powder Loose) का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)(iv) (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री बिरदीचन्द साहू पुत्र स्व. श्री घीसालाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू किराणा भण्डार बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं.11 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner